कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, भोपाल – 462004

क्रमांक 2155 – /484/आउशि/शाखा–2/10, भोपाल, दिनांक 17/8/10
प्रति

1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,
   उच्च शिक्षा,
   भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा ।
2. प्राचार्य,
   समस्त शासकीय महाविद्यालय,
   मध्यप्रदेश ।

विषयः– अतिथि विद्वान व्यवस्था अंतर्गत आवेदकों की गुणानुक्रम सूची के प्रदर्शन बाबत ।
संदर्भः– इस कार्यालय का परिपत्र क्रमांक 1539/484/आउशि/शाखा–2/10, दि. 25.6.2010.

–0–

शैक्षणिक सत्र 2010–11 में अतिथि विद्वान व्यवस्था करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बाबत उपरोक्त संदर्भित परिपत्र दिनांक 25.6.2010 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं ।

2/ चयन प्रक्रिया में उत्तरदायित्व निर्धारण एवं पारदर्शिता बनाये रखने की दृष्टि से उक्त परिपत्र दिनांक 25.6.10 की क्रमशः कण्डिका–4 एवं कण्डिका–6 में स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं । अतः पुनः स्मरण कराया जाता है कि :–

(i) अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु अपनाई जाने वाली चयन प्रक्रिया में पूर्ण सावधानी बरती जावे। कोई त्रुटि/अनियमितता पाई जाने पर संबंधित चयन समिति/क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उत्तरदायी होंगे ।

(ii) पारदर्शिता की दृष्टि से चयन प्रक्रिया अनुसार तैयार की गई विषयवार गुणानुक्रम सूची महाविद्यालय की वेबसाईट एवं नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित कराई जावे ।

3/ महाविद्यालय के निरीक्षण के दौरान निरीक्षण अधिकारी से अतिथि विद्वान व्यवस्था संबंधी अभिलेखों का भी निरीक्षण करवाया जावे ।

(राजीव रंजन)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ.क्र. 2156 – /484/आउशि/शाखा–2/10, भोपाल, दिनांक 17/8/10
प्रतिलिपिः–

1. माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा के निज सहायक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल ।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर ।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश ।
5. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश ।
6. समस्त अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, समस्त शासकीय महाविद्यालय, मध्यप्रदेश।
7. उप सचिव, मध्य क्षेत्रीय कार्यालय विश्वविद्यालय अनुदान, बिट्टन मार्केट, भोपाल।
8. समस्त अधिकारी कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश ।
9. समस्त कोषालय एवं उप कोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल